

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 462 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोकहित में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i), तारीख 05 जून, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 463(अ), तारीख 05 जून, 2015 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. मूल अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"5	अध्याय 7, धारा 96 की उपधारा (2)	उप धारा (2) में "ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे" शब्दों के स्थान पर "ऐसे नगर, शहर या गांव, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के भीतर या ऐसा अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदन करे" शब्द रखे जाएंगे।"

3. मूल अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"15.	अध्याय 11, धारा 152 की	निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा- (क) सरकारी कंपनी, जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, जिसमें

उपधारा (6) और उपधारा (7)	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 51% समादत्त शेयरपूँजी धारित हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की एक समनुषंगी कंपनी।”
-----------------------------	---

4. मूल अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 29 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“29क.	अध्याय 15, धारा 230 से धारा 232	“अधिकरण” शब्द जहां कहीं आता है के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे।”

5. मूल अधिसूचना में, पैरा-2 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2क. उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (3) में विहित अपवाद, उपांतरण या अनुकूलन उस सरकारी कंपनी पर लागू होंगे जिसने रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 137 के अधीन अपने वित्तीय विवरण या उक्त अधिनियम की धारा 92 के अधीन वार्षिक विवरणी दायर करने में चूक न की हो।”

[फा.सं.1/2/2014-सीएल-V]

अमरदीप

13/06/2017
(अमरदीप सिंह भाटिया)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

टिप्पण: 1. इस अधिसूचना की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 462 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप में रखी गई है।

2. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 463(अ), तारीख 05 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA-ORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, dated the 13th June, 2017

G.S.R. (E). – In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 and in pursuance of sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, in the interest of public, hereby amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 463(E) dated the 5th June, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th June 2015 (hereinafter referred to as the principal notification), namely:-

2. In the principal notification, in the Table, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"5.	Chapter VII, sub-section (2) of section 96.	In sub-section (2), for the words "such other place as the Central Government may approve in this behalf", the words "such other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situate or such other place as the Central Government may approve in this behalf" shall be substituted."

3. In the principal notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"15.	Chapter XI, sub-sections (6) and (7) of section 152.	Shall not apply to – (a) a Government company, which is not a listed company, in which not less than fifty-one per cent. of

		<p>paid up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments or by the Central Government and one or more State Governments;</p> <p>(b) a subsidiary of a Government company, referred to in (a) above.”.</p>
--	--	--


4. In the principal notification, in the Table, after serial number 29, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"29A.	Chapter XV, sections 230 to 232.	For the word "Tribunal", wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted.”.

5. In the principal notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2A. The exceptions, modifications and adaptations provided in column (3) of the aforesaid Table shall be applicable to a Government company which has not committed a default in filing its financial statements under section 137 of the said Act or annual return under section 92 of the said Act with the Registrar.”.

[F. No. 1/2/2014-CL-V]


13/06/2017

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to the Government of India

Note:- 1. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the said Act.

2. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 463(E) dated the 5th June, 2015.